



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1161]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2017/वैशाख 6, 1939

No. 1161]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2017/VAISAKHA 6, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

का.आ. 1308(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में स्थित है और यह 57.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कई झीलों और कृत्रिम बारहमासी झील के साथ दलदली जमीन क्षेत्र है। यह झील पूरे वर्ष वन्य पशुओं के लिए जल का मुख्य स्रोत है और यह पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण भी है;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीव जन्तु प्रचुर की विविधता के साथ वृक्षों, झाड़ियों और पर्वतारोहियों की 180 प्रजातियां (लगभग), घासों की 18 प्रजातिया (लगभग), जलीय वनस्पति की 19 प्रजातियां (लगभग) है और जीवजन्तुओं में बाघ (पेंथेरा टिगरिस), जंगली बिल्ली फेलिस चौस (फेलीडाई), पेकुपाइन हाइस्टिसक्स इंडिका (हास्ट्रिसीडीए), पेंगोलिन मेनिस क्रेससिकाउडाटा (मनिडी) और वनस्पति प्रजातियों में हल्डू (अदीना कोर्डीफोलिया), करी मिलुसा टोमेंटोसा (एनोनैसीए), बीज (पेटरोकार्पस मासूपियम), मैदा (लिटिया ग्लुटिनोसा), हररा (टर्मिनलिया चेबुला) हैं;

और, चैम्पियन और सेठ के पुनरीक्षित वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त अभयारण्य में शुष्क पूर्णपाती झाड़ी वन और मुख्यतः खैर, मोयन करधार्ई, धौरा, साजा, लेंदिया, तेंदु, सीताफल, करोंदा, लान्टाना और कई चंदन के टुकड़े आते हैं और औसत घनत्व 0 से 0.7 तक परिवर्तनशील होता है। अधिकांश प्रजातियां ज्यादातर सूख जाती है, जल जाती है और अच्छी कटाई के काम भी आती है।

और, इस अभयारण्य की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ज्यादातर शाह बुलबुल होती है। अन्य पक्षियों में जैसे बुलबुल, उल्लू, कठफोडवा आदि सामान्य पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जो इस क्षेत्र में कभी भी दिखायी दे जाती है। शाह बुलबुल, जो मध्य प्रदेश राज्य का पक्षी है, यह अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में घने वन में पाये जाते है। प्रवासी पक्षी जो अभयारण्य में वास करते है जिसमें स्पांट बिलड बत्तख, ब्रह्मिनी बत्तख, सरोस क्रेन, स्टीलट, जकाना, वगटैल, सामान्य भारतीय धनेश, वाइट नेकड स्टोर्क सम्मिलित हैं।

मांसाहारी जाति, जो अभयारण्य में मुख्यतः तेंदुआ के लिए है यहां इसके खाने की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि यहां बहुतायत चिंकारा, चीतल और खरगोश पाए जाते हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में नरसिंहगढ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा जो 100 मीटर से 2 किलोमीटर की दूरी तक के विस्तार के साथ शहरी/आवासीय बस्तियों की ओर क्षेत्र में फैला हुआ है, क्षेत्र को नरसिंहगढ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 140.71 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसका विस्तार शहरी/आवासीय बस्तियों की साइड पर 100 मीटर से नरसिंहगढ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शेष क्षेत्र पर दो कि.मी. तक है और नरसिंहगढ वन्यजीव अभयारण्य तथा इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ-साथ बिन्दुओं के पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) निर्देशांक के प्रारूप में सीमा ब्यौरे उपाबंध I में दिए गए हैं।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 48 ग्रामों की सूची उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र सीमा ब्यौरों और अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी यदि कोई हों, मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(4) आंचलिक महायोजना, संबद्ध विभागों के परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और उक्त योजना के ब्यौरे देते हुए विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग को समर्थित किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिह्नित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास भी है; और

(v) अनुच्छेद 4 के अधीन दिये गए संबर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु, यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.—**आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग मध्य प्रदेश के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटल और रिसोर्ट का सन्निर्माण होगा। परंतु, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार के एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपयोग के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) वायु प्रदूषण.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सां.का.नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकृत किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तटीय विनियमन जोन, 2011 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां, जिसके अंतर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) भी है द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी। तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	(जल वायु मृदा ध्वनि और) प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। परन्तु ऐसे उद्योगों को जिन्हें आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरित या श्वेत कृषि द्वारा वर्गीकृत किया गया है जिसके अंतर्गत कृषि आधारित लघु उद्योग भी है लागू विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	नए वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक के जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) परन्तु प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ग) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
11.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों और बिछाई गई केबलों और अन्य बुनियादी ढाँचों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबलों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
15.	नागरिक सुविधाओं जिसके अंतर्गत अवसंरचना, भी है।	लागू विधियों के अनुसार, न्यूनीकरण उपायों के साथ, नियम और विनियम और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांत विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों के अनुसार, न्यूनीकरण उपायों के साथ, नियम और विनियम और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांत विनियमित होंगे।

17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्काकल्चर और मत्स्य पालन।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण विनियमित होंगे।
22.	वाणिज्यिक सतह और भूमिगत जल की निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, आदि, भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	निम्नीकृत भूमि या वन आवास की प्रत्यावर्तन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, अर्थात् :-

(i) प्रभागीय आयुक्त, भोपाल

—अध्यक्ष

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि

—सदस्य

(iii) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ

—सदस्य ;

(iv) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	—सदस्य ;
(v) मुख्य वन संरक्षक, भोपाल	—सदस्य ;
(vi) जिला कलेक्टर, राजगढ़	—सदस्य ;
(vii) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नरसिंहगढ़	—सदस्य ;
(viii) अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, भोपाल	—सदस्य ;
(ix) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़	—सदस्य ;
(x) शहर और ग्राम योजना विभाग का जिला अधिकारी,	—सदस्य ;
(xi) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	—सदस्य ;
(xii) वन्यजीव वार्डन, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, भोपाल	—सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति की अवधि तीन वर्ष का होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध 4** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/75/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

नरसिंहगढ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के निर्देशांक

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	उ 23°42'31.42"	पू 77° 04'59.25"
दक्षिण	उ 23°39'35.78"	पू 77° 08'29.46"
पूर्व	उ 23°36'56.55"	पू 77° 07'03.73"
पश्चिम	उ 23°38'03.82"	पू 77° 02'05.03"

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के निर्देशांक

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	उ 23°42'34.68"	पू 77° 04'59.45"
दक्षिण	उ 23°39'39.43"	पू 77° 09'40.08"
पूर्व	उ 23°35'51.45"	पू 77° 07'03.66"
पश्चिम	उ 23°37'56.71"	पू 77° 00'54.69"

उपाबंध II

नरसिंहगढ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं	ग्राम के नाम	तहसील	अक्षांश	देशांतर
1.	अम्बेडकर नगर	नरसिंहगढ	23°40'58.6"	077°03'45.4"
2.	अमलयाघाटी	नरसिंहगढ	23°38'46.1"	077°08'22.8"
3.	बवदीखेडा	नरसिंहगढ	23°41'51.1"	077°08'43.5"
4.	बैकपुर	नरसिंहगढ	23°36'41.4"	077°06'16.4"
5.	वनसिया	सेहोर	23°39'21.1"	077°09'51.1"
6.	बटुका	नरसिंहगढ	23°38'42.3"	077°07'51.5"
7.	बरखेदीगढी	नरसिंहगढ	23°40'08.8"	077°08'58.8"
8.	बदोदिया तलब	नरसिंहगढ	23°39'29.2"	077°01'58.4"
9.	भतपुर	नरसिंहगढ	23°38'21.2"	077°08'11.3"
10.	भेरूपुर	नरसिंहगढ	23°36'43.7"	077°06'49.1"
11.	भोपालपुर	नरसिंहगढ	23°39'25.3"	077°08'20.9"
12.	बिहार	नरसिंहगढ	23°37'15.1"	077°05'28.2"
13.	बनिजवा	नरसिंहगढ	23°36'13.0"	077°03'31.3"
14.	बलबतपुर	नरसिंहगढ	23°37'35.8"	077°05'53.6"

15.	बोदपुर	नरसिंहगढ	23°41'57.8"	077°03'14.0"
16.	बंदी	नरसिंहगढ	23°43'36.8"	077°04'42.0"
17.	चरपुर	नरसिंहगढ	23°40'16.4"	077°08'31.2"
18.	चैपुर	नरसिंहगढ	23°39'48.9"	077°05'35.3"
19.	चहाबाद	नरसिंहगढ	23°38'59.2"	077°07'43.6"
20.	देवगढ	नरसिंहगढ	23°38'47.6"	077°04'30.8"
21.	दुनगपुर	नरसिंहगढ	23°42'12.7"	077°08'16.4"
22.	फतेहपुर	नरसिंहगढ	23°36'38.2"	077°07'17.2"
23.	गांधीग्राम	नरसिंहगढ	23°40'27.6"	077°04'00.2"
24.	गावा	नरसिंहगढ	23°37'15.5"	077°08'41.0"
25.	हानापुर	नरसिंहगढ	23°39'29.3"	077°09'09.9"
26.	इलाहीपुर	नरसिंहगढ	23°42'36.1"	077°07'01.0"
27.	इंदरगढ	नरसिंहगढ	23°37'28.4"	077°04'16.4"
28.	कञ्चीपुरा बदोदिया	नरसिंहगढ	23°39'41.6"	077°03'05.8"
29.	कञ्चीपुरा विहार	नरसिंहगढ	23°37'21.2"	077°05'58.3"
30.	खेदी	नरसिंहगढ	23°42'04.6"	077°02'42.9"
31.	कोतरा	नरसिंहगढ	23°37'54.1"	077°06'25.8"
32.	महोखेडा	नरसिंहगढ	23°36'11.3"	077°08'05.7"
33.	नागखो	नरसिंहगढ	23°37'53.1"	077°05'01.0"
34.	नरसिंहगढ	नरसिंहगढ	23°42'36.4"	077°05'21.4"
35.	नरसिंहपुर	नरसिंहगढ	23°42'18.8"	077°04'08.6"
36.	पीपलथोन	नरसिंहगढ	23°37'00.5"	077°04'17.7"
37.	प्रतापपुर	नरसिंहगढ	23°37'08.3"	077°06'27.4"
38.	पुरा	सेहोरे	23°36'13.7"	077°08'12.3"
39.	रघुनाथपुर	नरसिंहगढ	23°42'13.4"	077°07'08.9"
40.	रेसाई	नरसिंहगढ	23°38'10.4"	077°08'01.6"
41.	रसीदखेदी	नरसिंहगढ	23°40'23.3"	077°08'00.2"
42.	रुकनियाखेडी	नरसिंहगढ	23°36'16.5"	077°04'58.8"
43.	साराना	नरसिंहगढ	23°41'41.9"	077°03'20.9"
44.	सगपुर	नरसिंहगढ	23°42'27.1"	077°04'24.4"
45.	शेरपुर	नरसिंहगढ	23°36'23.3"	077°05'17.5"
46.	शोभागपुर	नरसिंहगढ	23°40'18.8"	077°03'01.4"
47.	दीदोनिया	नरसिंहगढ	23°37'17.5"	077°02'58.1"
48.	विजयगढ	नरसिंहगढ	23°41'22.3"	077°07'38.3"

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2017

S.O. 1308(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (v) (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Narsingharh Wildlife Sanctuary situated in Rajgarh district in the state of Madhya Pradesh and spread over an area of 57.19 square kilometers has number of lakes and wetland areas with an artificial perennial lake and this lake is a major source of water to wild animals throughout the year and also the key attraction for the tourists;

AND WHEREAS, the said Sanctuary is rich in floral and faunal diversity with Trees, Shrubs and Climbers 180 species (approx), Grasses 18 species (approx), Aquatic flora, 19 species (approx) and in faunal Tiger (*Panthera tigris*), Wildcat *Felis chaus* (*Felidae*), Percupine *Hystix indica* (*Hystricidae*), Pangoline *Manis crassicaudata* (*Manidae*), and the flora species are Haldu (*Adina cordifolia*), Kari Milusa tomentosa (*Annonaceae*), Bija (*Pterocarpus marsupium*), Maida (*Litsea glutinosa*), Harra (*Terminalia chebula*);

AND WHEREAS, as per Champion and Seth's revised classification the aforesaid Sanctuary is dry deciduous scrub forest and comprises mainly of Khair, Moyan Kardhai, Dhaura, Saja, Lendia, Tendu, Sitaphal, Karonda, Lantana and few patches of chandan and average density varies from 0 to 0.7, and most of the species are hardy to drought, fire and are good coppicers.

AND WHEREAS, the important feature of this Sanctuary is presence of Paradise flycatcher in abundance and among other birds like Bulbul, Owl, Woodpecker, etc. are the commonly found species of the birds, which can be seen any time in the area; Paradise flycatcher, which is the state birds of Madhya Pradesh, is mostly found in dense forest especially in the summer period migratory birds which visit the Sanctuary include Spot billed duck, Bramhini duck, Sarus crane, Stilt, Jacana, Wagtail, Common Indian hornbill, White necked stork; and the carnivores' family which is headed by Panther in the Sanctuary has no problem of their food, because Chinkara, Chital and Hare are found in abundance.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters on urban/residential settlement side to 2 kms in the rest of the area around the boundary of Narsingharh Wildlife Sanctuary in the State of Madhya Pradesh as the Narsingharh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 140.71 square kilometers with extent ranging from 100 meters on urban/residential settlements side to 2 kilometers on the rest of area from the boundary of the Narsingharh Wildlife Sanctuary and the boundary details in the form of Global Positioning System (GPS) coordinates of points along the boundary of Narsingharh Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-I**.

(2) The list of 48 villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in that notification.

(2) The said plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest and Wildlife,
- (iii) Agriculture,
- (iv) Revenue,
- (v) Urban Development,
- (vi) Tourism,
- (vii) Rural Development,
- (viii) Irrigation and Flood Control,
- (ix) Municipal
- (x) Panchayati Raj
- (xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the said Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents such as:

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh in consultation with Departments of Environment and Forests Government of Madhya Pradesh.

(c) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Narsingharh Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Narsingharh Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of the final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of the final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government or the Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government or the Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.**—Disposal of solid wastes shall be as under:—

(a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture; and

(d) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.**—(a) No establishment of new wood based industries within the Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011, the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) and the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining	(a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted: Provided that industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, shall be regulated as per applicable regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and applicable guidelines.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per applicable building byelaws to meet the residential needs of the local residents. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).

15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity shall be strictly monitored by the concerned appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

C. Promoted Activities

29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.

34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of degraded land, forests, habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.— The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone of the following, namely:—

- | | | |
|--------|--|--------------------|
| (i) | Divisional Commissioner, Bhopal | -Chairman, |
| (ii) | One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years | -Member; |
| (iii) | An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years | -Member; |
| (iv) | Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board | -Member; |
| (v) | Chief Conservator of Forests, Bhopal | -Member; |
| (vi) | District Collector, Rajgarh | -Member; |
| (vii) | Chief Municipal Officer, Narsinghgarh | -Member; |
| (viii) | Superintending Engineer, Public Health Department Bhopal | -Member; |
| (ix) | Chief Executive Officer of Zilla Panchayat, Rajgarh | -Member; |
| (x) | District Officer of Town and Country planning Department | -Member; |
| (xi) | Member of State Biodiversity Board- | -Member; and |
| (xii) | Wildlife Warden of Narsinghgarh Wildlife Sanctuary, Bhopal | -Member-Secretary. |

6. Terms of reference.—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Committee shall be three years.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per performa appended at **Annexure IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/75/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I**Boundary Co-ordinates of Narsinghgarh Wildlife Sanctuary**

Direction	Latitude	Longitude
North	N 23042'31.42"	E 770 04'59.25"
East	N 23039'35.78"	E 770 08'29.46"
South	N 23036'56.55"	E 770 07'03.73"
West	N 23038'03.82"	E 770 02'05.03"

Boundary Co-ordinates of Eco-sensitive Zone

Direction	Latitude	Longitude
North	N 23042'34.68"	E 770 04'59.45"
East	N 23039'39.43"	E 770 09'40.08"
South	N 23035'51.45"	E 770 07'03.66"
West	N 23037'56.71"	E 770 00'54.69"


ANNEXURE-II**LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF NARSINGHGARH WILDLIFE SANCTUARY**

No.	Name of village	Tehsil	Latitude	Longitude
1.	Ambedkar Nagar	Narsinghgarh	23040'58.6''	077003'45.4''
2.	Amliyaghata	Narsinghgarh	23038'46.1''	077008'22.8''
3.	Bawdikheda	Narsinghgarh	23041'51.1''	077008'43.5''
4.	Bankpura	Narsinghgarh	23036'41.4''	077006'16.4''
5.	Bansiya	Sehore	23039'21.1''	077009'51.1''

6.	Bantuka	Narsinghgarh	23038'42.3''	077007'51.5''
7.	Barkhedigarhi	Narsinghgarh	23040'08.8''	077008'58.8''
8.	Badodiya talab	Narsinghgarh	23039'29.2''	077001'58.4''
9.	Bhatpura	Narsinghgarh	23038'21.2''	077008'11.3''
10.	Bherupura	Narsinghgarh	23036'43.7''	077006'49.1''
11.	Bhopalpura	Narsinghgarh	23039'25.3''	077008'20.9''
12.	Bihar	Narsinghgarh	23037'15.1''	077005'28.2''
13.	Binjwa	Narsinghgarh	23036'13.0''	077003'31.3''
14.	Balbatpura	Narsinghgarh	23037'35.8''	077005'53.6''
15.	Bodpura	Narsinghgarh	23041'57.8''	077003'14.0''
16.	Bandi	Narsinghgarh	23043'36.8''	077004'42.0''
17.	Charpura	Narsinghgarh	23040'16.4''	077008'31.2''
18.	Chaipura	Narsinghgarh	23039'48.9''	077005'35.3''
19.	Chhabad	Narsinghgarh	23038'59.2''	077007'43.6''
20.	Devgarh	Narsinghgarh	23038'47.6''	077004'30.8''
21.	Dungapura	Narsinghgarh	23042'12.7''	077008'16.4''
22.	Fatehpur	Narsinghgarh	23036'38.2''	077007'17.2''
23.	Gandhigram	Narsinghgarh	23040'27.6''	077004'00.2''
24.	Gawa	Sehore	23037'15.5''	077008'41.0''
25.	Hanapura	Narsinghgarh	23039'29.3''	077009'09.9''
26.	Ilahipura	Narsinghgarh	23042'36.1''	077007'01.0''
27.	Indargarh	Narsinghgarh	23037'28.4''	077004'16.4''
28.	Kachhipura Badodiya	Narsinghgarh	23039'41.6''	077003'05.8''
29.	Kachhipura Vihar	Narsinghgarh	23037'21.2''	077005'58.3''
30.	Khedi	Narsinghgarh	23042'04.6''	077002'42.9''
31.	Kotra	Narsinghgarh	23037'54.1''	077006'25.8''
32.	Mahuakheda	Sehore	23036'11.3''	077008'05.7''
33.	Naagkho	Narsinghgarh	23037'53.1''	077005'01.0''
34.	Narsinghgarh	Narsinghgarh	23042'36.4''	077005'21.4''
35.	Narsingpura	Narsinghgarh	23042'18.8''	077004'08.6''
36.	Pipalthon	Narsinghgarh	23037'00.5''	077004'17.7''
37.	Pratappura	Narsinghgarh	23037'08.3''	077006'27.4''
38.	Pura	Sehore	23036'13.7''	077008'12.3''
39.	Raghunathpura	Narsinghgarh	23042'13.4''	077007'08.9''
40.	Resai	Narsinghgarh	23038'10.4''	077008'01.6''
41.	Rasidkhedi	Narsinghgarh	23040'23.3''	077008'00.2''
42.	Rukniyakhedi	Narsinghgarh	23036'16.5''	077004'58.8''
43.	Sarana	Narsinghgarh	23041'41.9''	077003'20.9''
44.	Sagpur	Narsinghgarh	23042'27.1''	077004'24.4''
45.	Sherpura	Narsinghgarh	23036'23.3''	077005'17.5''
46.	Shobhagpura	Narsinghgarh	23040'18.8''	077003'01.4''
47.	Tindoniya	Narsinghgarh	23037'17.5''	077002'58.1''
48.	Vijaygarh	Narsinghgarh	23041'22.3''	077007'38.3''

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NARSINGGARH WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS COORDINATES



MR
G.P.O.
DAMENPUR
NARSINGGARH

अधीक्षक
वन्यप्राणी अभ्यारण्य
नरसिंहगढ़

[Signature]
यस मन्थनसिक्वरी
सुमन्य वन मन्थन, राजगढ़
etc

ANNEXURE-IV**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee**

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.